कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (द॰प॰क॰) खातीपुरा रोड़, जयपुर
Office of the Principal Controller of Defence Accounts, (South Western Command)
Khatipura Road, Jaipur - 302012

महत्वपूर्ण परिपत्र

सं॰ अभि॰/II/परिपत्र

दिनांक: 24 .09.2015

सेवा में,

लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता

****

प्राय: यह देखा गया है कि अंतिम बिलों, चल लेखा रसीदों (RARs) आदि की लेखा परीक्षा के दौरान लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंताओं द्वारा निम्न बिन्दुओं का ध्यान नहीं रखा जाता है जो सरासर नियमों का उल्लंघन है, जिसे गंभीरता से लिया गया है।

1॰ Individual Security Deposit (ISD) की राशि की कटौती पहली चल लेखा रसीद से होनी है परंतु संबन्धित कटौती नहीं की जाती है, जो नियमानुसार पहली चल लेखा रसीद से की जानी होती है।

2॰ विचलन आदेशों की संवीक्षा मुख्य कार्यालय से समय पर नहीं करवाई जाती है, विचलन आदेशों को अंतिम बिल के साथ प्रस्तुत किया जाता है और कभी-कभी तो संवीदाकार द्वारा अंतिम बिल प्रस्तुत करने के बाद विचलन आदेश जारी किये जाते हैं।

3॰ IAFW-2249 की शर्त 65 का पालन नहीं किया जा रहा है, संविदाकरार का कार्य पूर्ण होने के तीन महीने के अंदर अंतिम बिलों को संविदाकार से Eng in Charge द्वारा पूर्व लेखा परीक्षा हेतु मुख्य कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जाता है जिससे संबन्धित कार्य की liability का पता नहीं चलता है तथा जिसे सुनिश्चित करना मुश्किल है।

4॰ IAFW-2249 के पैरा 64 की अनुपालना न करते हुए चल लेखा रसीद के भुगतान के समय अधिक भुगतान किया जा रहा है जिससे कि संविदाकार को Undue advantage का benefit दिया जाता है तथा अंतिम बिल के भुगतान के समय देय राशि (–) होने से संबन्धित संविदाकार से MRO या RAR से वसूली/कटौती कराना संभव नहीं होता है।

5॰ आपूर्ति आदेश, CRV, संविदाकरार, चल लेखा रसीद, अंतिम बिल व अन्य कागजात जो इस कार्यालय में प्रेषित किये जाते है उन पर किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के यहाँ तक की संविदाकार के दिनांकित हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं।

अत: सभी लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंताओं को सलाह दी जाती है कि अंतिम बिलों, चल लेखा रसीदों, विचलन आदेशों आदि की लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं का सख्ती से पालन किया जाये, अन्यथा उपरोक्त कमियों वाले कागजातों को इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा संबन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है।

कृपया पावती दें।

समूह अधिकारी (अभि॰)

प्रतिलिपि:

दुर्ग अभियंता — उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

—हस्ता॰—

समूह अधिकारी (अभि॰)